# न्यायालय उपजिलाधिकारी बारा इलाहाबाद

**वाद संख्या T20180203070687 सन् 2017—18 ई0 धारा 80 उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006**

मौजा भडिवार परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद

प्राइड द्वारा प्रबन्धक कुवंरबहादुर सिंह बनाम ग्राम पंचायत

नकल निर्णय आदेश दि० 03-04-18

प्रस्तुत वाद की पत्रावली वादी के अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2018 के क्रम में प्रस्तुत हुयी। प्रस्तुत पत्रावली में प्राइड द्वारा प्रबन्धक कुवंरबहादुर सिंह पुत्र रघुनन्दन सिंह नि0 ग्राम टिकरौही खुर्द परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद ने ग्राम पंचायत को प्रतिवादी बनाते हुये नियमानुसार आर0सी0 प्रपत्र 25 पर मय शपथपत्र इस कथन के साथ दायर किया है कि वे मौजा भडिवार परगना व तहसील बारा जिला इलाहाबाद की आराजी संख्या 595 रकबा 0.902हे0 में से रकबा 0.602हे0हे0 व आ0 सं0 598 रकबा 0.354हे0 कुल 2 गाटा कुल रकबा 0.955हे0 संक्रमणीय भूमिधर के रूप मे काबिज दखील कास्तकार है, और उक्त भूमि के आंशिक भाग पर विद्यालय भवन का निर्माण कराकर अकृषिक प्रयोग कर रहा है एंव उक्त भूमि का उपयोग कृषि, उद्यानकरण, अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य सम्बर्धन एवं कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है, से भिन्न प्रयोजन हेतु प्रयोग की जा रही है। और अन्त मे याचना किया कि उक्त भूमि को आकृषिक घोषित करते हुये लगान मुक्त किया जाये। इस सम्बन्ध मे तहसीलदार बारा की जॉच आख्या मगाई गयी तहसीलदार बारा द्वारा दिनांक 01.02.2018 को आराजी संख्या 595 रकबा 0.902हे0 में से रकबा 0.602हे0हे0 व आ0 सं0 598 रकबा 0.354हे0 कुल 2 गाटा कुल रकबा 0.955हे0 भूमि को गैरकृषिक भूमि घोषित किये जाने हेतु आख्या प्रेषित की गयी। तदनुसार वाद दर्ज रजिस्टर होकर नोटिस जारी किया गया तथा इस न्यायालय द्वारा निमानुसार दिनांक 26.03.2018 को आदेश पारित किया गया। आपत्तिकर्ता वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत पुनर्स्थापन/संशोधन प्रार्थना पत्र दिनांक 03.04.2018 के क्रम में पर वाद की पत्रावली का अवलोकन किया गया।

मैने वादिनी के विद्वान अधिवक्ता के तर्क को ध्यान पूर्वक सुना और पत्रावली का परिशीलन किया पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो तथा वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत खाता सं0 25 मौजा भडिवार के आधार पर उक्त भूमि पर कृषि उद्यानकरण अथवा पशुपालन जिसके अन्तर्गत मत्स्य संवर्धन तथा कुक्कुट पालन भी सम्मिलित है से असम्बद्ध प्रयोजन हेतु प्रयुक्त की जा रही है। तहसीलदार बारा की आख्यानुसार एवं प्रस्तुत साक्ष्य के अनुसार उक्त भूमि को गैरकृषिक घोषित किये जाने मे कोई विधिक अडचन प्रतीत नही होती है।

## आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर तथा वादी द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर पूर्व पारित आदेश दिनांक 26.03.2018 निरस्त कर मौजा भडिवार की आराजी सं0 595 रकबा 0.902हे0 में से रकबा 0.602हे0हे0 व आ0 सं0 598 रकबा 0.354हे0 कुल 2 गाटा कुल रकबा 0.955हे0 भूमि को विद्यालय के प्रयोग हेतु अकृषिक घोषित कर प्रख्यापित किया जाता है। तहसीलदार बारा की आख्या आदेश का अंग होगा। आदेश की सत्य प्रतिलिपि ज0वि0अधि0 के नियमावली के नियम 137 के अन्तर्गत निबन्धन हेतु उपनिबन्धक बारा को भेजी जाय एवं परवाना अमलदरामद जारी होए बाद आवश्यक कार्यवाही पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक—

03.04.18

(अर्पित गुप्ता)
उपजिलाधिकारी
बारा इलाहाबाद

प्रबंधक
प्राइड कालेज ऑफ फार्मेसी
अमरपुर भड़िवार शंकरगढ़
प्रयागराज